

300

128

राजस्थान सरकार
नगरपालिका विभाग

PAO
12/12/02

क्रमांक:- व. 5/26/न.वि.वि/1/92

जयपुर, दिनांक 2/12/2002

आदेश

इस विभाग के तत्संबंधक आदेश दिनांक 15.1.2002 द्वारा जवाहर
लाल नेहरू मार्ग के लगती हुई आवासीय योजनाओं का नियमन करने के आदेश
दिये गये थे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार कर अब यह निर्णय
लिया गया है कि जवाहर लाल नेहरू मार्ग के लगती हुई किसी भी आवासीय
योजना का नियमन 200 फिट जी-तत्स्थानिक पट्टों को जल्द विकास प्राधिकरण
के द्वारा सुरक्षित करते हुए/निःशुल्क समर्पित कराते हुए किया जाएगा एवं उतने
कोई कमी नहीं की जाएगी एवं यदि इस योजनाओं का नियमन 200 फिट की
पट्टों को छोड़ते हुए किया जा रहा है इतनिये तत्ती अध्याप्तता या
अध्याप्ताधीन भूमि को एक समान नियमन दर 439 रुपये प्रति वर्गमीटर रखी
जाएगी।

दिनांक 15.1.2002 का तत्संबंधक आदेश तदनुसार संशोधित
किया जा रहा है।

उप शासन तत्त्व
उप शासन तत्त्व

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही
के लिए प्रेषित है :-

1. तत्त्व-प्रधान, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विभागीय तत्त्व, मंत्री, नगरपालिका विभाग।
3. निजी तत्त्व, राजस्थान तत्त्व, नगरपालिका विभाग।
4. तत्त्व, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजो जयपुर।

TDR
This is an important
matter - it is a core
issue in the
Kullu district

उप शासन तत्त्व

कार्यालय जयपुर निम्न अधीक्षण, जयपुर।

क्रमांक: न.वि.वि/अ.भ/प्रा/2002/डी- 5028

दिनांक: 7-12-02

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित है:-

1. पीएच नित्य सचिव, आयुक्त मनोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जयपुर।
3. निदेशक/विभा/अ.वि.वि/अ.वि.वि/न.वि.वि, जयपुर।
4. निजी सहायक, आंतरांगीय/प्रा/प्रा.वि.वि, जयपुर।
5. सहायक आयुक्त जयपुर, जयपुर।
6. सहायक पीएच नगर नियोजक, जयपुर।
7. उप निदेशक/सहायक, जयपुर।
8. श्री गणेश।

(353)